(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:– पूनम मीणा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 28 / 2025 **जीसीएमएस नम्बर :– 2025 / 44**

1. सरोज चाहर पुत्र किशनलाल उम्र 40 साल जाति जाट निवासी गोठ तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
2. सन्तरा देवी उर्फ संतोष पत्नी किशनलाल उम्र–63 साल जाति जाट निवासी गोठ तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

................वादिगण

बनाम

1. भरत सिंह पुत्र अमीलाल नवीरा हनुमानराम उम्र 35 माल जाति जाट निवासी गोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0)
2. अमित कुमार पुत्र अमीलाल उम्र 40 वर्ष जाति जाट निवासी गोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज0)
3. आशा पुत्री अमीलाल पत्नी जोगेन्द्र उम्र 35 माल जाति जाट निवासी गोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज) हाल आवाद भोड़की तह गुढा जिला झुन्झुनू (राज0)
4. लक्ष्मी देवी पत्नी अमीलाल उम्र 70 साल जाति जाट निवासी गोठ तहसील वुहाना जिला झुन्झुनू (राज0)
5. सत्यवीर पुत्र हनुमानराम उम्र 82 वर्ष जाति जाट निवासी गोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0)
6. जलेसिंह पुत्र सुदन जाति जाट निवासी गोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0)
7. प्रदीप पुत्र भतेरी जाति जाट निवासी गोठ तहसील वुहाना जिला झुन्झुन (राज0) हाल आवाद रघुनाथपुरा तह चिड़ावा जिला झुन्झुनू (राज0)
8. संजय पुत्र भतेरी जाति जाट निवासी गोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.) हाल आबाद रघुनाथपुरा तह चिड़ावा जिला झुन्झुनू (राज0)
9. सुनीता कुमारी पुत्री सत्यकुमार पत्नी जयप्रकाश जाति जाट निवासी गोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0) हाल आवाद गड़ाणिया तहसील व जिला झुन्झुनू (राज0)
10. राजेश पुत्र ओमप्रकाश नवीरा गोकल जाति जाट निवासी गोठ तहसील बुहाना जिला राज0
11. सत्येन्द्र पुत्र ओमप्रकाश नवीरा गोकल जाति जाट निवासी गोठ तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
12. बनेसिंह पुत्र गोकल जाति जाट निवासी गोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0)
13. बिजेन्द्र पुत्र गोकल जाति जाट निवासी गोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0)
14. विकास पुत्र जयसिंह जाति जाट निवामी गोठ तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.09.09 15:50:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

15. सुनीता पुत्री जयसिंह जाति जाट निवासी गोठ तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
16. मनेश पुत्री जयसिंह जाति जाट निवासी गोठ तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
17. सज्जन कुमार पुत्र उदेराम जाति जाट निवासी गोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0)
18. जितेन्द्र पुत्र सत्यदेव जाति जाट निवासी गोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0)
19. प्रतिपाल पुत्र देवकरण जाति जाट निवासी गोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0)
20. प्रेम पुत्री नेतराम जाति जाट निवासी गोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0)
21. प्रियंका पुत्री नेतराम जाति जाट निवासी गोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनु (राज0)
22. प्रमेन्द्र पुत्र नेतराम जाति जाट निवासी गोठ तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
23. पवन पुत्र नेतराम जाति जाट निवासी गोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनु (राज0)
24. पृथ्वी सिंह पुत्र प्रीतम सिंह जाति जाट निवासी गोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0)
25. कविता पुत्री प्रीतम सिंह जाति जाट निवासी गोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0) हाल आबाद खेदड़ो की ढाणी तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज0)
26. रणधीर सिंह पुत्र रिछपाल जाति जाट निवासी गोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0)
27. संजय सिंह होशियार सिंह जाति जाट निवासी गोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0)
28. समीर पुत्र होशियार सिंह जाति जाट निवासी गोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुन (राज0)
29. मुरेन्द्र पुत्र होशियार सिंह जाति जाट निवासी गोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0)
30. सुमेर सिंह दतक पुत्र जुगलाल जाति जाट निवासी गोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0)
31. अंजना पुत्री हनुमान पत्नी मनीराम जाति जाट निवासी सालम का बास तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज0)
32. दयाकौर पुत्री हनुमान जाति जाट निवासी गोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0)
33. संतरा पुत्री हनुमान जाति जाट निवासी गोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0) हाल आबाद सालम का बास तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज0)
34. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा ढाढोत कलां जरिए शाखा प्रबंधक तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0)
35. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0)

...............प्रतिवादिगण

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

दावा बाबतः— घोषणात्मक व खाता विभाजन

—:निर्णयः— दिनांकः—

(1). वादी का वादपत्र रहा किः—

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.09.09 15:50:29 IST
Reason: SelfAttested

1. यह कि ग्राम गोठ स्थित कृषि भूमि जमाबंदी संवत् ...–2078 के खाता संख्या 112 के हाल ख0न0 30 रकबा 0.72 है0, ख0न0 ... रकबा ...09 है0, ख0न0 61 रकबा 1.40 है0

कुल कित्ता 3 कुल रकबा 2.21 है० के खातेदार काश्तकार वादिगण व प्रतिवादिगण संख्या 1 से 5 वर्ज रिकार्ड है जिसमे वादी संख्या 1 का 1/6 व 2 का 1/6 यानी की वादिगण का 1/3 हिस्सा दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2 का 1/9, 1/9 व प्रतिवादी संख्या 4 का 1/9 तथा प्रतिवादी संख्या 5 का 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

2. यह कि वाके ग्राम गोठ स्थित कृषि भूमि जमाबंदी संवत् 2075–2078 के हाल खाता संख्या 28 के ख०न० 111 रकबा 4.71 है० के खातेदार काश्तकार वादिगण व प्रतिवादी संख्या 1,2,4,5 लगायत 9 दर्ज रिकार्ड है। जिसमे वादी संख्या 1 का 1/12 व 2 का 1/12 हिस्सा यानी की वादिगण का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 1,2,4 का प्रत्येक का 1/18,1/18, 1/18 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 5 का 1/6 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 से 9 का दर्ज रिकार्ड है।

3. यह कि ग्राम गोठ स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 65 जमाबंदी संवत् 2075–2078 के हाल ख०न० 80 रकबा 0.72 है० के खातेदार काश्तकार वादिगण व प्रतिवादिगण दर्ज रिकार्ड है। जिसमे वादिगण का प्रत्येक का 1/48,1/48 हिस्सा यानी की 1/24 हिस्सा है तथा शेष हिस्सा प्रतिवादिगण का दर्ज रिकार्ड है।

4. यह कि ग्राम गोठ स्थित भूमि खाता संख्या 31 जमाबंदी संवत् 2075–2078 के हाल ख०न० 81 रकबा 0.37 है०, ख०न० 82 रकबा 0.37 है०, ख०न०83 रकबा 1.00 है०, ख०न० 84 रकबा 1.00 है०कुल कित्ता 4 कुल रकबा 2.74 है० के संयुक्त खातेदार काश्तकार वादिगण व प्रतिवादिगण का दर्ज रिकार्ड है जिसमे वादी संख्या 1 का 1/48 हिस्सा व वादी संख्या 2 का 1/48 हिस्सा यानी की दोनों का 1/24 हिस्सा है शेष हिस्सा अन्य प्रतिवादिगण का दर्ज रिकार्ड है।

5. यह कि वाद पत्र के खंड न०1 लगायत 4 में वर्णित भूमि का वादिगण व प्रतिवादीगण ने मौके पर बाहमी बँटवारा कर रखा है। तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 एक ही परिवार के सदस्य है उन्होंने भी मौके पर उक्त भूमि का काफी वर्षों से बाहमी बँटवारा करके काश्त करते आ रहे है तथा बाहमी बंटवारे में आई भूमि में वादिगण ने अपने मकान भी बना रखे है तथा उसी अनुसार मौके पर अलग अलग कब्जा काश्त है तथा मौके पर मेड कायम कर रखी है।

6. यह कि बाहमी बंटवारे के अनुसार वाद पत्र के खंड न० 1 लगायत 4 में दर्ज भूमि में से वादिगण का कब्जा काश्त हाल ख०न० 46 रकबा 0.09 है० सम्पूर्ण व ख०न० 61 रकबा 1.40 है० सम्पूर्ण तथा ख०न०30 रकबा 0.72 है० में से 0.19 है० पर कब्जा काश्त है तथा शेष हिस्सा अन्य खसरा नंबर में है तथा उसी अनुसार मौके पर वादिगण काबिज काश्त है तथा ख०न० 61 रकबा 1.40 है० में वादिगण ने अपने मकान बना रखें है जिसमे रिहायस भी करते है तथा इस प्रकार से प्रतिवादी संख्या 1,2,3,4 के हिस्से में हाल ख०न० 11 में से 0.99 है०, ख०न ०30 में से 0.23 है० तथा ख०न० 80,81,82 में में 0.33 है० भूमि पर कब्जा काश्त है तथा प्रतिवादी संख्या 5 का हाल ख0न० 11 में से 1.3[illegible] ख0न0 30 में में 0.30 है० भूमि पर कब्जा काश्त है तथा शेष हिस्सा अन्य [illegible] है। तथा प्रतिवादी संख्या 5 ने अपने हिस्से में [illegible] तथा इसी अनुसार

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.09.09 15:50:29 IST
Reason: SelfAttested

पिछले 35–40 वर्षों से काबिज काश्त है तथा मौके पर मेड़ कायम कर रखी है तथा वादिगण ने अपने कब्जे शुदा भूमि में सुधार कार्य भी करवाकर उपजाऊ बना रखा है तथा इसी विभाजन के संबंध में वादिगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के मध्य दिनांक 26/05/2024 को एक सहमती से विभाजन इस भूमि के संबंध में पुराने समय में काश्त के अनुसार किया गया है जिसके अनुसार वादिगण ने जिस भूमि में मकान बना रखे है वो वादिगण के हिस्से में रहेगी तथा प्रतिवादी संख्या 5 ने जिस भूमि में मकान बना रखे है वह उसके हिस्से में रहेगी तथा इसी तरह प्रतिवादि संख्या 1 से 4 का कब्जा काश्त जिस भूमि पर है वह उनके हिस्से में रहेगी तथा शेष हिस्सा जो कम या ज्यादा है वह शेष भूमि यानी ख०न० 80 से 84 में से मिलेगा उक्त आपसी सहमति से विभाजन दिनांक 26/05/2024 को लिखा गया है जिस पर वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 5 के पुत्र ने सहमति बाबत हस्ताक्षर किए है तथा अन्य खातेदार जलेसिंह व अंजना व नरेश कुमार व अन्य ने गवाह के रूप में अपने हस्ताक्षर किए है जिससे प्रतिवादी संख्या 1 से 5 व वादिगण पाबंद है। तथा उसी अनुसार मौके पर काबिज काश्त भी है तथा उक्त राजीनामा बाबत विभाजन में यह भी तय हुआ था कि सभी सहमति से विभाजन करवायेंगे तथा जो भी असहमति करता है उस स्थिति में उस पर एक लाख रुपये का दंड लगेगा उक्त विभाजन पर सभी ने अपने अपने हस्ताक्षर किए है इसलिए वादिगण ने अपने हिस्से की भूमि को खाता विभाजन हेतु उक्त विभाजन का वाद पत्र पेश किया जा रहा है। जो सावधि है।

7. यह कि बाद पत्र के खण्ड न० में 4 में वर्णि भूमि का मौके पर पिछले 5 वर्षों में विभाजन कर काश्त कर रहे है तथा उसी अनुसार दिनांक 26/05/2024 को सहमति में विभाजन की लिखावट भी लिखी जाकर वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 5 के पुत्र के हस्ताक्षर है तथा गवाह के रूप में जलेसिंह, नरेश कुमार, अंजना के हस्ताक्षर है लेकिन रिकार्ड में आज भी भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। जिसकी वजह से वादिगण अपनी भूमि की किस्म परिवर्तित नहीं करवा सकता है तथा वादी संख्या 2 का सहवन से राजस्व रिकार्ड में संतोष पत्नी किशन लाल दर्ज हो गया है जबकि उसका वास्तविक नाम संतरा देवी है जिसकी घोषणा करवाने की वादी संख्या 2 अधिकारी है।

8. यह कि वादिगण अपने कब्जे शुदा भूमि को पिछले 35 वर्ष से बाहमी बटवारा अनुसार काश्त करते आ रहे है उसमे खाद डालकर व पेड़ पौधे लगाकर उपजाऊ बनाया है तथा मौके पर मेड़ बनी हुई है तथा तारबाड़ कर रखी है लेकिन अभी तक कानून विभाजन राजस्व रिकार्ड में अलग से नहीं हुआ है। इसलिए उक्त बाद विभाजन का प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है जो सावधि है।

9. यह कि खातेदार ओमप्रकाश पुत्र [illegible] विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 10,11 है। इसी प्रकार खातेदार सूदन [illegible] भी फौत हो चुका है जिसके विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या [illegible] खातेदार प्रीतम सिंह पुत्र रिछपाल फौत हो चुके [illegible] प्रतिवादी बनाया गया है तथा कुछ खातेदारो ने प्रतिवादी संख्या 34 से ऋण [illegible] रखा है इसलिए उसको आवश्यक

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.09.09 15:50:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

पक्षकार बनाया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 35 भूमि धारक होने में आवश्यक पक्षकार इसलिए परिवादी दर्ज किया गया है।

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि:–

(क). यह कि ग्राम गोठ स्थित कृषि भूमि जमाबंदी संवत् 2075–2078 के खाता संख्या 112 के हाल ख०न० 30 रकबा 0.72 है०, ख०न० 46 रकबा 0.09 है०, ख०न० 61 रकवा 1.40 है० कुल किता 3 कुल रकबा 2.21 है में वादिगण का संयुक्त रूप से हिस्सा व खाता संख्या 28 के ख0न0 111 रकबा 4.71 है0 में वादीगण का प्रत्येक का 1/12, 1/12 यानी की 16 हिस्सा व खाता संख्या 65 जमाबंदी सवंत् 2075–2078 के हाल ख0 न० 80 रकबा 0.72 है0 में वादिगण का 1/24 हिस्सा व खाता संख्या 31 जामाबंदी संवत् 2075–2078 के हाल ख0 न0 81 रकबा 0.37 है0, ख0न0 82 रकबा 0.37 है0, ख0न0 83 रकबा 1.00 है0 ख0 न0 84 रकबा 1.00 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.74 है0 में वादिगण का प्रत्येक का 1/48, 1/48 यानी की 1/24 हिस्से का खाता विभाजन बाहमी बंटवारा व दिनांक 26/05/2024 को हुए राजीनामे के अनुसार वादिगण को हाल ख0 न0 61 रकबा 1.40 है0 सम्पूर्ण व ख0 न0 46 रकबा 0.09है0, ख0 न0 30 में से 0.19है0 भूमि कब्जे अनुसार तथा शेष हिस्सा अन्य ख0 न0 में से दिया जाकर इसी अनुसार विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अम्ल दरामद किया जावे तथा अलग से लगान कायम किया जावे। तथा वादी संख्या 2 का नाम संतोष पत्नी किशनलाल की जगह संतरा देवी पत्नी किशनलाल घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की सम्यक तामिल रजिस्टर्ड डाक से होकर प्राप्त हुई। तथा प्रतिवादीगण बावजूद तामील होने पर अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में दिनांक 23.04.2025 को लाई गई। अतः न्यायाल वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.04. 2025 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 248 दिनांक 05.05.2025 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 2450 दिनांक 27.07.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया । प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 तथा प्रतिवादी संख्या 31 लगायत 33 की ओर से श्री रामस्वरूप यादव एडवोकेट की ओर वकालतनामा व प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया सुना गया। वकील वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया। बहस सुनी गई, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया प्रतिवादीगण को विधिवत रूप से तामील होकर एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। अतः पत्रावली विभाजन प्रस्ताव, बहस/जवाब के आधार पर अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी न्यायहित में अस्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.09.09 15:50:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी जिला झुन्झुनूं (राज.)

बहस के अनुसार शपथ पत्र, दस्तावेज, सहमति से प्राप्त कुर्रे प्राप्त पर कोई ऐतराज नहीं किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिकथनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075–2078 वाके ग्राम गोठ स्थित भूमि हाल खाता संख्या 28, 31, 65, 112 में वादीगण के दर्ज हिस्से व मौका कब्जे काश्त अनुसार वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

–:आदेश:–

" न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम गोठ स्थित कृषि भूमि जमाबंदी संवत् 2075–2078 के हाल खाता संख्या 112 के ख० न० 30 रकबा 0.72 है०, ख० न० 46 रकबा 0.09 है०, ख० न० 61 रकबा 1.40 है० कुल किता 3 कुल रकबा 2.21 है व खाता संख्या 28 के ख0 न0 111 रकबा 4.71 है0, व खाता संख्या 65 के ख0 न० 80 रकबा 0.72 है0 व खाता संख्या 31 के ख0 न0 81 रकबा 0.37 है0, ख0 न0 82 रकबा 0.37 है0, ख0 न0 83 रकबा 1.00 है0 ख0 न0 84 रकबा 1.00 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.74 है0 भूमि में वादिगण का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–6" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–6" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ–1 लगायत अ–6" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

(पूनम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 19/8/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(पूनम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.09.09 15:50:29 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– पूनम मीणा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 28/2025 **जीसीएमएस नम्बर :– 2025/44**

सरोज चाहर **बनाम** भरतसिंह आदि

दावा बाबत – घोषणात्मक व खाता विभाजन

–:निर्णयः–

वादीगण की ओर से **श्री मुकेश चौधरी एडवोकेट** की उपस्थिति एवं शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में इस वाद को **पूनम मीणा उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम गोठ स्थित कृषि भूमि जमाबंदी संवत् 2075–2078 के हाल खाता संख्या 112 के ख० न० 30 रकबा 0.72 है०, ख० न० 46 रकबा 0.09 है०, ख० न० 61 रकबा 1.40 है० कुल किता 3 कुल रकबा 2.21 है व खाता संख्या 28 के ख0 न0 111 रकबा 4.71 है0, व खाता संख्या 65 के ख0 न० 80 रकबा 0.72 है0 व खाता संख्या 31 के ख0 न0 81 रकबा 0.37 है0, ख0 न0 82 रकबा 0.37 है0, ख0 न0 83 रकबा 1.00 है0 ख0 न0 84 रकबा 1.00 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.74 है0 भूमि में वादिगण का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–6" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–6" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ–1 लगायत अ–6" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 19/8/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.09.09 15:50:29 IST
Reason: SelfAttested

(पूनम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
उपखण्ड अधिकारी एवं
जिला झुन्झुनूं (राज.)
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)